उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।

रिट याचिका संख्या–1809 वर्ष 2015

उत्तराखण्ड रेवन्यू कलेक्शन
अमिन संघ

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखण्ड राज्य व अन्य

..... प्रत्यर्थी

रिट याचिका संख्या–1810 वर्ष 2015

उत्तराखण्ड रेवन्यू कलेक्शन
पिऑन संघ

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखण्ड राज्य व अन्य

..... प्रत्यर्थी

उपस्थित अधिवक्तागण।
याचिकाकर्ता की ओर से : श्री बी0एस0 अधिकारी
राज्य की ओर से : श्री एन.एस.पुंडीर एवं श्री एस.एम.एस. मेहता

निर्णय

माननीय रविन्द्र मैठानी, न्यायाधीश

चूंकि दोनों ही याचिकाओं में समान तथ्य एवं कानून के प्रश्न शामिल हैं, इसलिए दोनों रिट याचिकाओं का निर्णय एक साथ किया जा रहा है।

2. वर्ष 2015 के डॅब्ल्यू.पी.एस.एस संख्या–1809 वर्ष 2015, याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व जिला उधमसिंहनगर में संग्रह अमीन करता है एवं डॅब्ल्यू.पी.एस.एस संख्या–1809 वर्ष 2015, याचिकाकर्ता संग्रह यपरासी का प्रतिनिधित्व करता है।

3. याचिकाकर्ताओं को शासनादेश दिनांक 16.12.2011 के लाभ से वंचित कर दिया गया है, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के अन्य जिलों में समान स्थिति वाले कर्मचारियों को दिनांक 09.11.2000 से सेवा का लाभ दिया गया था। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि उन्हें दिनांक 16.12.2011 के सरकारी आदेश का लाभ दिया जाए (रिट याचिका का अनुबंध–4)। याचिकाकर्ताओं का यह भी दावा हे कि उन्हें सुनिश्चित कैरियर प्रगति योजना (ए0सी0पी0) का लाभ दिया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं का मामला है कि वे जिला उधमसिंहनगर में कार्यरत हैं। वर्ष 2013 में कुछ समय बाद उनकी सेवा नियमित कर दी गई। शासनादेश दिनांक 16.12.2011 द्वारा उत्तराखण्ड ने नौ जिलों के संग्रह अमीनों को दिनांक 01.01.2011 से सेवा लाभ प्रदान किया गया।

राज्य निर्माण की तिथि से दिनांक 09.11.2011, परन्तु जनपद उधमसिंह नगर एवं जनपद हरिद्वार के समान स्थिति वाले संग्रह अमीन एवं संग्रह चपरासी को लाभ से वंचित कर दिया गया।

4. प्रतिवादी संख्या–3 जिला मजिस्ट्रेट, उधमसिंहनगर ने जवाबदावा दायर किया और इसके पैरा 6 में कहा गया है कि याचिकाकर्ता 16.12.2011 के सरकारी आदेश का लाभ पाने के हकदार नहीं है, क्योंकि यह उन पर लागू नहीं होता है। प्रतिवादी क्रमांक 4, जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ ने अपने प्रतिशपथ पत्र में स्वीकार किया है कि उस जिले में कार्यरत संग्रह अमीन एवं संग्रह चपरासी को दिनांक 01.12.2019 से सेवा लाभ दिया गया है। दिनांक 09.11.2000 एवं 08.10.2013 के आदेश द्वारा इन्हें एसीपी का लाभ भी दिया गया है। प्रतिवादी संख्या–3 ने सप्लीमेंट्री काउंटर दिनांक 11.02.2021 को भी दाखिल किया है जिसमें मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्र या मैदानी क्षेत्र में कार्यरत संग्रह अमीन और संग्रह चपरासी के बीच अंतर किया गया है। प्रतिवादी संख्या–4 जिला मजिस्ट्रेट, पिथौरागढ़ ने भी दिनांक 08.06.2021 को एक पूरक जवाबदावा दायार किया है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि रिट याचिका संख–5695 वर्ष 2001 में पारित निर्देश दिनांक 23.09.2003 के अनुसार, सीजनल संग्रह अमीन एवं सीजनल संग्रह चपरासी को 5वें वेतन आयोग की संस्तुति के दृष्टिगत वार्षिक वेतन वृद्धि एवं बोनस का लाभ दिया गया है।

5. याचिकाकर्ताओं ने प्रतिउत्तर जवाबदावा के माध्यम से कुछ तथ्य रिकॉर्ड पर लाए हैं। 2009 की डब्ल्यूपीएसएस संख्या–715 (तीसरी रिट याचिका½ में पारित इस न्यायालय के दिनांक 27.12.2010 के निर्णय और आदेश का संदर्भ दिया गया है, जिसमें याचिकाकर्ताओं के अनुसार, यह माना गया है कि जिले के संग्रह अमीन और चपरासी उधमसिंहनगर में संग्रह अमीन और चपरासी का कार्य जिला पिथौरागढ़ के संग्रह अमीन और चपरासी के समान कार्य कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय, इलाहाबाद (पहली रिट याचिका) द्वारा 1997 के डब्ल्यूपीएसएस संख्या–9557 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 16.07.1997 का भी संदर्भ दिया है कि उस मामले में यह माना गया था कि पर्वतीय एवं मैदान क्षेत्रों में कार्यरत संग्रह अमीनों एवं चपरासियों की सेवा शर्ते एक समान हैं तथा वे नियमित संग्रह अमीनों एवं चपरासियों के समान ही कर्तव्य निभा रहे हैं। दरअसल, याचिकाकर्ता का यह मामला यह है कि इससे पहले याचिकाकर्ताओं ने एक रिट याचिका बियरिंग संख्या–2003 का 1667 (दूसरी रिट याचिका) जिसका निर्णय दिनांक 13.02.2007 को किया गया था, जिसमें उत्तरदाताओं को आवास भत्ता, वार्षिक वेतन वृद्धि, समूह बीमा सुविधा, भविष्य निधि

जैसे सेवा लाभ दिये जाने का निर्देश दिया गया था। जिला पिथौरागढ़ में संग्रह अमीनों को प्रदान किया गया। याचिकाकर्ताओं न 2017 की रिट याचिका (एस/एस) संख्या–933 (चौथी रिट याचिका) और संबंधित मामलों में पारित इस न्यायालय के फैसले का भी उल्लेख किया है, जो इसके द्वारा तय किए गय थे कोर्ट ने दिनांक 14.11.2017 को प्रस्तुत किया कि वास्तव में, उस आदेश से कोर्ट ने माना की पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में काम करने वाले अमीनों और चपरासियों के काम की प्रकृति में समरूपता है।

6. यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि शुरू से ही याचिकाकर्ताओं का यह मामला रहा है कि पिथौरागढ़ जिले में समान स्थिति वाले श्रमिकों को एसीपी सहित सेवा लाभ पहले ही दिए जा चुके हैं। अपने जवाबदावे में प्रतिवादी संख्या–4 जिला मजिस्ट्रेट पिथौरागढ़ ने इस तर्कों को सत्य माना है। हालांकि, जैसा कि कहा गया है कि मैदानी क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के बीच एक अंतर बनाया गया है। उन्होंने याचिकाकर्ताओं को दिनांक 16.12.2011 के सरकारी आदेश का लाभ इस आधार पर देने से इंकार कर दिया कि यह याचिकाकर्ताओं पर लागू नहीं होता क्योंकि वे जिला उधमसिंह नगर में कार्यरत हैं। जवाबदावा दिनांक 16.12.2011 के सरकारी आदेश के कार्यान्वयन के इर्द–गिर्द घुमता है।

7. मौजूदा याचिका में मुख्य सवाल यह है कि क्यों शासनादेश दिनांक 16.12.2011 का लाभ उधमसिंहनगर में कार्यरत संग्रह अमीनों एवं संग्रह चपरासियों तक दिया जा रहा है। शायद, सबसे अच्छा उत्तर उत्तराखण्ड राज्य ने दिया होगा। लेकिन राज्य प्रतिवादी संख्या–1 ने कोई जवाबदावा दाखिल नहीं किया है।

8. वास्तव में, इस न्यायालय द्वारा दिनांक 21.02.2018 को तत्काल याचिकाओं पर निर्णय किया गया था और उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ताओं को एसीपी का लाभ जारी करने का निर्देश दिया गया था। इन याचिकाओं में पारित 21.02.2018 के इस आदेश को उत्तरदाताओं द्वारा 2018 की विशेष अपील संख्या–918 वर्ष 2018 राज्य व अन्य बनाम उत्तराखण्ड रेवेन्यू कलैक्शन पिऑन संघ (विशेष अपील)। विशेष अपील का निर्णय दिनांक 13.12.2018 को हुआ। विशेष अपील में यह माना गया कि दिनांक 21.02.2018 को याचिकाओं पर निर्णय लेते समय, न्यायालय ने एसीपी योजना के लाभ के लिए याचिकाकर्ताओं की पात्रता की जांच नहीं की। तद्नुसार, दिनांक 21.02.2018 के आदेश को रद् कर दिया गया और मामला फिर से सुनवाई के लिए आया।

9. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के सुना और पत्रावली का अवलोकन किया।

10. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि राज्य बिना किसी कारण के याचिकाकर्ताओं के साथ समान व्यवहार करने से इंकार कर रहा है। भेदभाव किसी

तर्क, बिना किसी कारण के आधारित है, जो इस न्यायालय की जांच के दायरे में आ सकता है।

10. विद्वान अधिवक्ता द्वारा निम्नलिखित बिंदु उठाए गयेः

1) पहली रिट याचिका में 16.07.1997 को न्यायालय ने माना था कि याचिकाकर्ता जिन्हें अन्यााि संग्रह अमीन के रूप में नामित किया गया था, नियमित संग्रह अमीन और नियमित संग्रह चपरासी के समान कार्य कर हे थे और उन्हें निर्देशित किया गया था समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर, नियमित संग्रह अमीनों और संग्रह चपरासियों के समान वेतन, भत्ते और अन्य लाभ और सुविधाएं, जैसा भी मामला हो, भुगतान किया जायेगा।

2) दूसरी रिट याचिका में, 13.02.2007 को इस न्यायाल ने कहा था कि याचिकाकर्ताओं को सभी सेवा लाभ उन लाभों के बराबर प्रदान किए गए, जो जिला पिथौरागढ़ में समान स्थिति वाले श्रमिकों को दिए जा रहे थे। दूसरी रिट याचिका में पारित निर्देश दिनांक 13.02.2007 के अनुसरण में जब उत्तरदाताओं ने याचिकाकर्ताओ को सेवा लाभ नहीं दिया, तो एक अवमानना याचिका दायर की गई, लेकिन बाद में याचिकाकर्ताओं को तीसरी रिट याचिका दायर करने की सलाह दी गई।

3) दिनांक 27.10.2007 को तीसरी रिट याचिका में, न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना कि याचिकाकर्ता संग्रह अमीनों और चपरासी के समान कार्य कर रहे हैं, जैसा कि जिला पिथौरागढ़ के संग्रह अमीन और चपरासी द्वारा किया जाता है।

4) तीसरी रिट याचिका में पारित निर्णय और आदेश दिनांकित 27.10.2007 को प्रतिवादी द्वारा कभी चुनौती नहीं दी गई, इसके बजाय, प्रतिवादी संख्या–3 द्वारा दिनांक 02.10.2011 को एक आदेश पारित करके इसका अनुपालन किया गया। (अनुलग्नक 2 रिट याचिका)

5) चौथी रिट याचिका, जो जिला देहरादून के संग्रह अमीनों और संग्रह चपरासियों को सेवा के लाभों से संबंधित थी, में न्यायालय ने माना था कि भेदभाव तर्क संगत नहीं है। इसके पैराग्राफ संख्या–15, 16 व 17 का संदर्भ दिया गया है।

6) याचिकाकर्ताओं को तीसरी रिट याचिका में पारित आदेश दिनांक 27.10.2007 के अनुसार अन्य वेतन और भत्ते से संबंधित लाभ पहले ही दिए जा चुके हैं, लेकिन बिना किसी कारण के उन्हें एसीपी का लाभ देने से इंकार कर दिया गया है।

7) इसी प्रकार जिला हरिद्वार में स्थित श्रमिकों को भी दिनांक 03.01.2018 को सेवा

लाभ प्रदान किया गया है।

12. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि एसीपी को छोड़कर याचिकाकर्ता को ये सभी लाभ दिए गए हैं। एसीपी देने से इंकार अकारण है इसलिए, याचिकाएं स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

13. दूसरी ओर राज्य के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि दूसरी ओर तीसरी रिट याचिका में, याचिकाकर्ता एसीपी का लाभ मांग सकते थे, जो उन्होंने नही किया। इसलिए अब रिट याचिका को पूर्व न्यायिक सिद्धांत द्वारा वर्जित किया गया है।

14. न्यायालय ने जानना चाहा कि एसीपी का लाभ क्यों याचिकाकर्ताओं को नहीं दिया गया। किस आधार पर इसे अस्वीकार किया गया ? इसका कोई जवाब नहीं है, यहां तक कि न्यायालय ने विद्वान राज्य अधिवक्ता से जानना चाहा कि समान लाभ जिला पिथौरागढ़ में संग्रह अमीनों एवं संग्रह चपरासियों को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 13.02.2007 को निर्णित दूसरी रिट याचिका के निर्देशानुसार याचिकाकर्ताओं को क्यो नहीं दिया गया है ? इस पर विद्वान राज्य अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि '' दूसरी रिट याचिका में, समान काम के लिए समान वेतन दिया गया था। इसके बाद 16.12.2011 का सरकारी आदेश लागू हुआ। इसलिए एसीपी का लाभ नहीं दिया गया।'' न्यायालय ने विद्वान राज्य अधिवक्ता से जानना चाहा कि तीसरी रिट याचिका में दिनांक 27.10. 2007 को पारित निर्देशों के अनुसार याचिकाकर्ताओं को जिला मजिस्ट्रेट उधमसिंहनगर के दिनांक 02.10.2011 के आदेश द्वारा पहले ही स्वीकार्य वेतन और भत्ते दिए जा चुके हैं। ऐसे में एसीपी से इंकार क्यों किया गया ? इस पर विद्वान राज्य अधिवक्ता द्वारा जवाब दिया कि प्रतिवादी संख्या–3 जिला मजिस्ट्रेट उधमसिंह नगर के आदेश दिनांक 02.10.2011 द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता को जो भी स्वीकार्य है वह दिया जायेगा। सवाल यह है कि एसीपी स्वीकार्य क्यों नहीं है। इसका उत्तर नहीं दिया गया।

15. जैसा कि कहा गया है कि राज्य के पास कोई निश्चिम मामला नहीं आया है, कि दिनाकं 16.12.2011 के सरकारी आदेश का लाभ याचिकाकर्ता को क्यों नहीं दिया गया है। इसका लाभ जिला पिथौरागढ में समान स्थिति वाले श्रमिकों को दिया गया और प्रतिवादी संख्या–4 जो कि जिला मजिस्ट्रेट, पिथौरागढ़ है, ने आगे स्वीकार किया कि जिला पिथौरागढ़ में समान स्थिति वाले श्रमिकों को नियमित किया गया और उन्हें एसीपी भी प्रदान किया गया। प्रतिवादी संख्या–3 जिला मजिस्ट्रेट उधमसिंहनगर ने सरकारी आदेश दिनांक 16.12.2011 का लाभ इस आधार पर कि याचिकाकर्ता तक विस्तारित नहीं है, देने से इंकार कर दिया, लेकिन जैसा कि कहा गया है, दोहराव की कीमत पर, सवाल यह है कि इसे अस्वीकार क्यों किया गया है ?

16. एक पूरक जवाबदावे में प्रतिवादी संख्या–3 जिला मजिस्ट्रेट उधमसिंह नगर ने यह अंतर बताने की कोशिश की थी कि चूंकि याचिकाकर्ता मैदानी क्षेत्र में है और पिथौरागढ़ पहाड़ी क्षेत्र में है, इसलिए ऐसा नहीं किया गया। कार्यप्रणाली किस प्रकार भिन्न है ? उधमसिंहनगर के जिलाधिकारी ने जब अपना जवाबदावा दाखिल किया तो उनके पास ऐसा क्या अनुभव था, जिसके आधार पर वह कह सके कि कार्यप्रणाली अलग है ? क्या उन्होंने जनपद पिथौरागढ़ में कार्य किया था ? क्या वे जनपद पिथौरागढ़ के प्रभारी थे ? यह जानकारी किस प्रकार आधारित है ? इस जवाबदावे में कुछ भी नहीं है। वास्वत में, प्रतिवादी संख्या–3 जिला मजिस्ट्रेट उधमसिंहनगर द्वारा दायर दिनांक 11.12.2021 का पूरक जवाबदावा उस टिप्पणी के खिलाफ है, जो इस न्यायालय ने 27.10.2007 को तीसरी रिट याचिका पर निर्णय लेते समय की थी। तीसरी रिट याचिका में इस न्यायालय ने जो कहा था उसे पुनः प्रस्तुत करना उपयुक्त होगा।

> ''इस न्यायालय का विचार है कि यह रिट याचिका स्वीकार की जानी चाहिए, क्योंकि याचिकाकर्ता संग्रह अमीन और चपराासी के समान कार्य कर रहे हैं जैसा कि जिला पिथौरागढ़ के संग्रह अमीन और चपरासी द्वारा किया जाता है। राजस्व बोर्ड ने भी सिफारिश की थी कि सीजनल संग्रह अमीनों को वे सभी सुविधाएं दी जाए, जो नियमित कर्मचारियों को दी जाती हैं। राज्य सरकार ने जिला उधमसिंहनगर के संग्रह अमीनों के साथ असमानता और भेदभाव का रवैया अपनाया है। इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में जिला पिथौरागढ़ के अमीनों को सभी लाभ मिल रहे हैं।''
>
> और उसके बाद न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला,
>
> ''इस बात को ध्यान में रखते हुये कि 'समान कार्य के लिए समान वेतन' के सिद्धांत का लागू किया जाना चाहिए, उत्तरदाताओं को उसी तरह का लाभ देने का निर्देश दिया जाता है, जैसा कि जिला पिथौरागढ़ के संग्रह अमीनों को प्रदान किया जा रहा है।

17. तीसरी रिट याचिका में, इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना है कि याचिकाकर्ता संग्रह अमीन और चपरासी के समान कार्य कर हैं, जैसा कि जिला पिथौरागढ़ के संग्रह अमीन और चपरासी द्वारा किया जाता है। यह निष्कर्ष अंतिम है, वास्तव में, यह निर्णय जैसा कि कहा गया है, प्रतिवादी संख्या–3 जिला मजिस्ट्रेट उधमसिंहनगर द्वारा भी लागू किया गया है। याचिकाकर्ता को सोवा लाभ पहले ही दिया जा चुका है। एसीपी क्यों देने से इंकार किया गया, इसका कोई कारण नहीं है और कोई कारण समझ में भी नहीं आ रहा है। अतः इंकार उचित नहीं है। यह किसी सिद्धांत किसी कानून या किसी कानून पर आधारित नहीं है।

18. याचिकाकर्ता का कहना है कि सेवा का लाभ समान रूप से हरिद्वार में स्थित व्यक्तिों को दिया जा चुका है। इससे भी इंकार नही है, इसका तात्पर्य यह है कि शासनादेश दिनांक 16.12.2011 को जनपद हरिद्वार में भी लागू कर दिया गया है। जैसा कि कहा गया है कि राज्य प्रतिवादी संख्या–1 कोई जवाबदावा दायर करने के लिए नहीं आया है। प्रतिवादी संख्या–2 आयुक्त कुमाउं मण्डल ने कोई प्रतिशपथ पत्र दाखिल नहीं किया। इसे देखते हुए न्यायालय का यह मानना है कि याचिकाकर्ता दिनांक 16.12.2011 के सरकारी आदेश का लाभ पाने के हकदार है और वे एसीपी के भी हकदार हैं। तद्नुसार रिट याचिकाएं स्वीकार किये जाने योग्य है।

19. दोनों रिट याचिकाएं स्वीकार की जाती हैं। याचिकाकर्ता शासनादेश दिनांक 16.11.2011 का लाभ पाने के हकदार हैं। वे सुनिश्चिम कैरियर प्रगति योजना (एसीपी) के लाभ के भी हकदार हैं।

(रविन्द्र मैठानी, न्यायाधीश)
दिनांक 22.09.2021